न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट), बागपत।
उपस्थितः (शबिस्ताँ आकिल), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06283

UPBG010012312026

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः-449/2026

1. फरीद पुत्र नानू, निवासी कस्बा छपरौली, थाना छपरौली, जिला बागपत।

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य ....अभियोजक।

1. केस का विवरण

एफ०आई०आर० संख्या एवं दिनांक	27/2021 दिनांक 09-01-2026
पुलिस थाना, जिला एवं प्रदेश	बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश
धारा	धारा 319(2), 316(2), 69, 115(2), 351, 352 बी०एन०एस० व धारा 3(2)(v) एस०सी० एस०टी०एक्ट
अधिकतम दण्ड	दस वर्ष

2. हिरासत एवं प्रक्रियात्मक अनुपालन

हिरासत में लेने का दिनांक	14-01-2026
अभिरक्षा की अवधि	02 माह 11 दिन

3. विचारण की स्थिति

कार्यवाही का स्तर	आरोप विरचन हेतु
आरोप पत्र में साक्षीगण की संख्या	08
अभियोजन साक्षीगण की संख्या जो परीक्षित हुए	निल

4. आपराधिक इतिहास

एफ०आई०आर० संख्या एवं पुलिस थाना	कोई नहीं
धारा	
स्थिति (विचाराधीन/दोषमुक्त/दोषसिद्ध)	

5. प्रपीडक कार्यवाही

क्या गैर जमानती वारंट जारी हुआ	नहीं
क्या घोषित अपराधी है	नहीं

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.28 15:49:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांकः 25.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **फरीद** उपरोक्त की ओर से मु०अ०सं० 27/2026, थाना बड़ौत, जिला बागपत में धारा 319(2), 316(2), 69, 115(2), 351, 352 बी०एन०एस० व धारा 3(2)(v) एस०सी० एस०टी०एक्ट में नियमित जमानत पर रिहा किये जाने हेतु उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न शपथपत्र के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का इस प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष यह द्वितीय नियमित जमानत आवेदन है। उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के कारण विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या 2, बागपत द्वारा निरस्त किया गया था।

वादिनी मुकदमा पर नोटिस की तामीला पर्याप्त है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा /पीड़िता द्वारा दिनांक 06-01-2026 को पुलिस अधीक्षक, बागपत को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि लगभग दो वर्ष पूर्व प्रार्थिनी की पहचान एक व्यक्ति से हुई, जिसने अपना नाम शंकर बताया तथा स्वयं को हलवाई का कार्य करने वाला बताया। उक्त व्यक्ति ने प्रार्थिनी से प्रेम संबंध स्थापित किए तथा विवाह का झांसा देकर प्रार्थिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। प्रार्थिनी उस समय नौकरी करती थी और उक्त व्यक्ति समय-समय पर प्रार्थिनी से पैसे भी लेता रहा। इस प्रकार उक्त व्यक्ति द्वारा प्रार्थिनी से लगभग ₹2,00,000/-(दो लाख रुपयै) की धनराशि ले ली गई। लगभग दो माह पूर्व प्रार्थिनी को उक्त व्यक्ति पर संदेह हुआ, जिस पर प्रार्थिनी उसके घर पहुंची। वहाँ जाकर प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम फरीद पुत्र नानू , निवासी छपरौली थाना छपरौली है, जो मुस्लिम धर्म का है, जिसकी पहले से शादी हो चुकी है तथा उसके 4-5 बच्चे भी हैं। जब प्रार्थिनी ने उक्त व्यक्ति से इस विषय में बात की, तो उसने प्रार्थिनी का मोबाइल फोन छीन लिया। उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। उक्त व्यक्ति ने यह भी कहा कि यदि प्रार्थिनी ने किसी को कुछ बताया तो वह उसकी अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर देगा। उक्त व्यक्ति ने वास्तव में प्रार्थिनी की अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर डाल दिए हैं, जिससे प्रार्थिनी की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुँचा है। इस घटना के कारण प्रार्थिनी की मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है और वह आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो गई है। इसके अतिरिक्त आरोपी प्रार्थिनी को यह भी धमकी दे रहा है कि वह उसे तेजाब डालकर जला देगा। प्रार्थिनी के परिजनों द्वारा उसकी शादी तय कर दी गई है, जो दिनांक 16 फरवरी 2026 को निर्धारित है। किंतु आरोपी की धमकियों व कृत्यों के कारण प्रार्थिनी व उसका परिवार अत्यंत भयभीत है। प्रार्थिनी द्वारा इस संपूर्ण घटना की सूचना थाना बड़ौत में पूर्व में दी जा चुकी है, परंतु आज तक उक्त आरोपी के विरुद्ध कोई प्रभावी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे प्रार्थिनी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। अतः उक्त आरोपी फरीद पुत्र नानू के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. पंजीकृत करने, उसकी अश्लील फोटो व वीडियो को सोशल मीडिया से तत्काल हटवाने, उसको पुलिस सुरक्षा प्रदान करने, उससे ठगी गई धनराशि की बरामद कराने एवं आरोपी के विरुद्ध कठोर व त्वरित कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उक्त मुकदमा मे बिलकुल झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपना नाम बदलकर वादिनी मुकदमा के साथ कोई धोखाधडी, विवाह का झांसा देकर शारीरिक व मानसिक शोषण नही किया गया तथा ना ही कोई ठगी व मारपीट की गयी तथा ना ही जान से मारने या तेजाब डालने की धमकी दी गयी तथा न ही वादिनी मुकदमा की कोई अश्लील वीडियो ही बनायी गयी है तथा ना ही वीडियो वायरल करने की धमकी ही दी गयी है तथा ना ही वादिनी मुकदमा को जाति सूचक शब्द ही कहे गये है। उस पर लगाये गये सभी आरोप बिलकुल झूठे व निराधार है। वादिनी मुकदमा एवं प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया बालिग है। वादिनी के बयान अर्न्तगत धारा 180 बी.एन.एस.एस. तथा बयान 183 बी.एन.एस.एस. एवं बयान गवाह बलराज पुत्र शेरसिह से पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुकदमा वादिनी तथा अभियुक्त वर्ष 2023 से अब तक लिव-इन-रिलेशन शिप में रह रहे थे, दोनो अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, दोनो का लिव-इन रिलेशनशिप उसी समय का नोटरी से तसदीक है, जिससे स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा एवं अभियुक्त अपनी स्वेच्छा से साथ रह रहे थे तथा अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा दिये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। मुकदमा वादिनी के बयान अर्न्तगत धारा 183 बी.एन.एस.एस. मे यह कहीं भी नहीं आया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ कोई जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया गया हो, जिस कारण अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3 (2)(v) एस०सी०एस०टी०एक्ट का कोई अपराध गठित नही होता है। वादिनी मुकदमा द्वारा

प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख तक नहीं किया गया कि वह कब अभियुक्त के सम्पर्क में आयी तथा उसे कब अभियुक्त के दूसरे धर्म का होने का पता चला, जिस कारण भी वादिनी मुकदमा की समस्त कहानी झूठी प्रतीत हो रही है। वादिनी मुकदमा द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी कि उसके द्वारा अभियुक्त को कब कब रूपये दिये गये, जिस कारण अभियुक्त का लिप्तीकरण झूठा प्रतीत हो रहा है। वास्तविकता यह है कि वादिनी मुकदमा द्वारा ही अपनी घरेलू जरूरत हेतू अभियुक्त से लगभग 3,50,000/- रूपये बतौर उधार लिये गये थे, जब अभियुक्त द्वारा अपने पैसो का तकाजा किया तो वादिनी मुकदमा द्वारा झूठी कहानी बनाकर उपरोक्त मुकदमा कायम करा दिया गया। तथाकथित घटना की बाबत अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे कि उसके द्वारा तथाकथित अपराध कारित किया जाना पाया जाता हो। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही वह पूर्व सजायाफ्ता मुजरिम है। अभियुक्त दिनांक 14.1.2026 से जिला कारागार बागपत मे निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है, को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने और उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। स्वयं वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि लगभग दो वर्ष पूर्व उसकी पहचान अभियुक्त से हुई थी, जिससे विदित है कि वादिनी अभियुक्त को विगत दो वर्षो से जानती थी। वादिनी द्वारा अपने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के बयान में कथन किया गया है कि वह अभियुक्त को दो-तीन साल से जानती थी और फोन पर बात करती थी। इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था जसपाल सिंह कौरल बनाम स्टेट आफ एन०सी०टी० दिल्ली क्रिमिनल अपील नम्बर एस०एल०पी० (क्रि०) नम्बर 4007/2024 दाखिल की गयी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेषण किया गया है कि ''The prolonged period of the relationship, during which the sexual relations continued between the parties, is sufficient to conclude that there was never an element of force or deceit in the relationship.'' इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा 17-02-2023 का लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में एक शपथपत्र भी दाखिल किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादिनी व अभियुक्त लम्बे समय से एक दूसरे को जानते थे। अपने धारा 183 बी०एन०एस०एस० के बयान में वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त उसे दिल्ली कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने के लिए ले गया था और बोलता था की वह उससे शादी करेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध वादिनी के आधार कार्ड की प्रति से वह लगभग 23 वर्षीय युवती है। जिससे प्रतीत होता है कि वह एक परिपक्व स्त्री है और अपना अच्छा बुरा समझने में सक्षम है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिनी का विवाह 16 फरवरी को हो चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है और आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर दिनांक 16-03-2026 को संज्ञान लिया जा चुका है।

अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 14-01-2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **फरीद** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये-

1- प्रार्थी/अभियुक्त वादिनी के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, न ही वादिनी से कोई सम्पर्क स्थापित करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर वादिनी से संबंधित ऐसी कोई सामग्री अपलोड नहीं करेगा जिससे वादिनी की निजता, सम्मान व गरिमा को कोई ठेस पहुॅचे।

3- प्रार्थी/अभियुक्त न ही मौखिक रूप से वादिनी के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई वार्तालाप या अपशब्द कहेगा और न ही वादिनी के संबंध में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रचार करेगा।

4- प्रार्थी/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

5- प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

6- जमानत पर छूटने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।

दिनांकः 25.03.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट), बागपत।